

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 738 / 2010 / अलवर.

2. अपील संख्या – 739 / 2010 / अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पैरामाउण्ट वायर्स एण्ड केबल्स लिमिटेड,
एस.पी.-30, रिको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22 / 02 / 2018

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 102 / उपा / अपील्स / अल / आरएसटी / 09-10 / 09 एवं 110 / उपा / अपील्स / अल / सीएसटी / 09-10 / 09 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.10.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’, अलवर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वैट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 06.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. वैट अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के तहत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-

(1) प्रत्यर्थी व्यवसायी कम्पनी द्वारा वायर एण्ड केबल्स का निर्माण किया जाता है जिसमें PIJF, OFC एवं अन्य केबल की विभिन्न किस्म का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था। कम्पनी को, विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1998, के तहत निर्माता के रूप में विक्रय कर से मुक्ति का भी लाभ प्राप्त था।

लगातार.....2

(2) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण हेतु प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउंट के अवलोकन पर यह आपत्ति की गई कि प्रत्यर्थी ने किसी अन्य फर्म मै. पेरामाउंट कम्यूनिकेशन लि. खुशखेड़ा से रुपये 16.91 करोड़ की केबल खरीद कर उसका जो विक्रय किया है वह प्रत्यर्थी फर्म का निर्माण नहीं होने से उस माल के विक्रय पर प्रोत्साहन योजना, 1998 का लाभ नहीं लिया जा सकता क्योंकि उस माल की केवल ट्रेडिंग की गयी है जबकि योजना का लाभ केवल स्वयं द्वारा निर्मित माल पर ही देय था, अतः प्रोत्साहन योजना के लाभ को निरस्त किया गया।

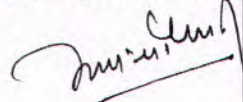
(3) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की राज्य के भीतर की गई खरीद बिक्री के सम्बन्ध में प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में रुपये 2.29 करोड़ की खरीद होना असत्य माना क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वेट-48 प्रपत्र जिसमें वेट-47 घोषणा पत्रों के जरिये राज्य के बाहर से की गई खरीद से सम्बन्धित विवरण होता है उसमें रुपये 17.07 करोड़ की खरीद बताई थी अतः उस अन्तर खरीद राशि रुपये 14.77 करोड़ के माल पर लाभ जोड़कर उस माल का निर्माण होना मानकर उस निर्मित माल का रुपये 16.25 करोड़ का विक्रय मानते हुये उस पर करारोपण किया गया।

(4) व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में जो भाड़े की प्राप्तियां रुपये 43.34 लाख बताई गई थी उस राशि को बिक्री मूल्य का भाग मानते हुए उस राशि पर भी करारोपण किया गया, जबकि जारी बिलों में Freight की राशि पृथक से वसूल की गई थी।

(5) व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट एवं ट्रेडिंग अकाउंट में आलौच्य अवधि में रुपये 7.59 करोड़ की हानि बताई थी उसे अस्वीकार कर उस राशि को विक्रय राशि में शामिल करते हुए अतिरिक्त करारोपण किया गया एवं उक्त सभी अतिरिक्त करारोपण को करवंचना का कृत्य मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई।

4. उक्त कर निर्धारण आदेशों से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें स्वीकार कर उक्त चारों बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये -

(1) अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्य फर्म से केबल की खरीद कर उसका 46 तरह के प्रोसेस कर नई वाणिज्यिक वस्तु निर्मित होना मानकर उसे नई मार्केटेबल कमोडिटी मानते हुए विनिर्माण मानकर उसके विक्रय पर प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाना स्वीकार किया गया है।

लगातार.....3

(2) अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में रुपये 14.77 करोड़ की राज्य के बाहर से की गई खरीद को आधार मानकर किये गये अतिरिक्त करारोपण को इस आधार पर अपास्त किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट-48 में रुपये 17.07 करोड़ की खरीद होना बताया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य या वैट-48 पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से यह खरीद रेकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के साथ एस.टी.18ए, वैट-47 का उपयोग की सूची के अनुसार कुल रुपये 3.78 करोड़ की ही खरीद राज्य के बाहर से होना प्रमाणित होता है, ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के रुपये 14.77 करोड़ पर अतिरिक्त आरोपित कर को अपास्त किया गया।

(3) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापार में हुए नुकसान की राशि को विक्रय राशि में जोड़ा गया था उसे अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचन के साथ अविधिक निर्णीत करते हुए उस पर किये गये करारोपण को अपास्त किया गया।

(4) व्यवहारी द्वारा जारी बिलों में पृथक से दर्शाई गई भाड़े की राशि को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रय मूल्य में जोड़कर किये गये करारोपण को अविधिक मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने करारोपण को अपास्त किया है।

5. इस तरह उक्त दोनों ही पृथक-पृथक आदेशों (VAT Act एवं CST Act) के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर मांग राशियां अपास्त करने के विरुद्ध राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने विवादित कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए कथन किया कि "योजना-1998" के तहत व्यवहारी को कर मुक्ति का लाभ केवल स्वयं द्वारा उत्पादित माल पर ही दिये जाने का प्रमाण-पत्र प्राप्त था, जबकि व्यवहारी ने अन्य व्यवसायी कम्पनी से माल की खरीद कर केवल उसकी कटिंग एवं पैकिंग कर किये गये विक्रय पर भी कर मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया है उस पर करमुक्ति का लाभ अस्वीकार कर पूर्ण कर दर से करारोपण किया गया है वह पूर्णतया विधिक है क्योंकि अन्य कम्पनी, पैरामाउंट कम्यूनिकेशन, से जो निर्मित माल क्रय किया गया था वह ट्रेडिंग कार्य था ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन योजना का लाभ स्वीकार्य नहीं था अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया। इसी तरह विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अन्य बिन्दुओं पर भी कर निर्धारण आदेश का समर्थन कर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

लगातार.....4

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा जो केबल अन्य फर्म मैसर्स पैरामाउन्ट कम्यूनिकेशन से खरीद की गई थी, वह फर्म भी प्रोत्साहन योजना, 1998 का लाभ प्राप्त कर रही थी तथा खरीद किया गया केबल अर्द्धनिर्मित माल था जिस पर कई तरह के प्रोसेस करने के बाद नये निर्मित माल का विक्रय किया गया है अतः उस माल पर भी कर मुक्ति का लाभ लिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है अतः अपीलीय आदेश विधिसम्मत है।

9. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अन्य बिन्दुओं पर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के पक्ष में किये गये आदेश के त्रुटिपूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य या तर्क राजस्व द्वारा नहीं दिया गया है जबकि अपीलीय अधिकारी ने निर्णय में यह निर्देश दिया था कि अन्तर्राज्यीय खरीद सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है परन्तु यदि कर निर्धारण अधिकारी को ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त होता है तो वे पुनः आदेश करने के लिये स्वतंत्र हैं।

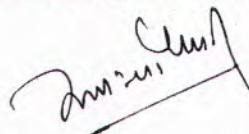
10. उभयपक्षीय बहस सुनी गई। कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

11. प्रकरण में प्रथम विवादित बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्रोत्साहन योजना-98 के तहत स्वयं द्वारा निर्मित माल 'केबल' के विक्रय पर क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत तक की सीमा तक करमुक्ति का लाभ प्राप्त था। व्यवहारी द्वारा इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है कि उनके द्वारा अन्य फर्म मैसर्स पैरामाउन्ट कम्यूनिकेशन, खुशखेड़ा से केबल की खरीद की गई थी, परन्तु यह कथन किया है कि वह माल पूर्ण फिनिशड न होकर अर्द्धनिर्मित माल होने से एवं उस माल पर कुछ प्रोसेस व्यवहारी द्वारा किया जाने के उपरान्त जो केबल तैयार की गई है वह निर्माण की परिभाषा में आती है। इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे वे पत्रावली पर उपलब्ध हैं, उनका अवलोकन किया गया, उनमें पैरामाउन्ट कम्यूनिकेशन से प्राप्त किये गये माल, जो M S Reel में पैक बताया गया था उसके नीचे यह अंकित किया गया है :-

The above said item procured in jumbo rolls into in process drums.

we done the following process

Sheathing-Testing-Marking-Rewinding-Cut in to required length as per Customer specification & packed in to wooden drums final Testing Stenciling of each drums, sealing both the ends of the cable of each drums, fixing of outer lagging to cover the final cable in wooden drums fixing & iron strip on each drums for dispatch.

लगातार.....5

12. व्यवहारी द्वारा माल से सम्बन्धित दिये गये उक्त विवरण से यह प्रकट होता है कि व्यवहारी द्वारा armoured cable की खरीद की जाकर उसे केवल sheathing, testing, marking, rewinding and cut in to required length as per Customer specification & packed लिखा है, इससे यह जाहिर है कि व्यवहारी द्वारा "केबल" की खरीद की जाकर उसे केवल sheathing कर आवश्यकतानुसार कट साईज में माल ग्राहकों को दिया गया है। वेट अधिनियम 2003 में "Manufacturing" की परिभाषा, धारा 2(22) में दी गयी है, जो निम्नानंकित है :-

2 (22). **"manufacture"** includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

13. उक्त परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्य या प्रक्रिया में वह प्रक्रिया सम्मिलित होगी जिससे किसी "New marketable commodity" अस्तित्व में आती है। उक्त वर्णित विवरण से प्रथम दृष्ट्या केबल खरीद की जाकर उसकी कटिंग कर बिक्री किया जाना प्रकट होता है परन्तु इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अन्य फर्म से केबल की खरीद अर्द्धनिर्मित माल के रूप में किया जाना बताया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में बिना किसी विवेचन या आधार के व्यवहारी के जवाब को अस्वीकार कर करमुक्ति के लाभ को खारिज किया गया है। खरीद किये गये माल के अर्द्धनिर्मित होने या निर्माण प्रक्रिया में एक नई वाणिज्यिक वस्तु उत्पन्न होने सम्बन्धी किसी भी तरह का कोई विवेचन कर निर्धारण आदेश में नहीं किया गया है बल्कि व्यवहारी के जवाब पर विवेचन किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवलमात्र एक पंक्ति में यह निर्णय दिया है कि "जवाब अस्वीकार किया जाता है", जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी को यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि वे तथाकथित अर्द्धनिर्मित माल वास्तव में अर्द्धनिर्मित न होकर पूर्ण निर्मित माल था एवं उस माल से कोई नई मार्केटेबल कमोडिटी व्यवहारी द्वारा उत्पादित या निर्मित नहीं की गयी थी। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी यह निर्णय किया गया है कि अर्द्धनिर्मित केबल से विनिर्मित केबल के उत्पादन में अपीलार्थी के स्तर की लगभग 46 प्रक्रियायें सन्निहित हैं, अर्थात् उनके द्वारा जो केबल खरीदी गई है वह बाजार में विक्रय योग्य या उपयोग में लाने योग्य नहीं थी एवं उनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय में यह आधार दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा खरीदी गयी केबल पर 46 प्रक्रियायें की गयी हैं, जबकि अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जो जवाब प्रस्तुत किया गया था उसमें ये 46

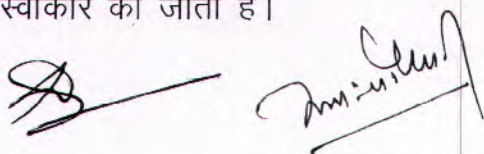


लगातार.....6

प्रक्रियायें पूरे केबल निर्माण के लिये किया जाना बताया गया था जो कि निश्चित रूप से केबल के प्रथम निर्माणकर्ता द्वारा की जाने से सम्बन्धित है। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा भी जो निर्णय दिया गया है वह पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है क्योंकि जो अर्द्धनिर्मित केबल की खरीद करके आगे की प्रक्रिया व्यवहारी स्वयं द्वारा की जाना बताया गया था उसमें केवल Sheathing एवं cutting का प्रोसेस है जिससे नई मार्केटेबल कमोडिटी निर्मित होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में बिना विवेचना के पारित किये गये कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश न्यायसम्मत नहीं होने से, इन्हें अपास्त कर इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहारी द्वारा मैसर्स पैरामाउण्ट कम्युनिकेशन से खरीद किये गये माल के सम्बन्ध में समुचित सुनवाई कर विस्तृत विवेचन के साथ स्पष्ट आदेश पारित करें कि व्यवहारी द्वारा खरीद किया गया माल एवं उस माल की cutting एवं sheathing किया जाना नई वाणिज्यिक वस्तु मानी जावे अथवा नहीं। फलतः इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर केबल के निर्माण होने या नहीं होने सम्बन्धी विधिसम्मत आदेश पारित करें।

14. अपीलीय अधिकारी द्वारा रुपये 14.77 करोड़ की अन्तर्राज्यीय खरीद बिक्री निर्धारित करने को अपास्त करने के बिन्दु पर परीक्षण करने पर पाया कि पत्रावली पर वर्ष 2006-07 का वेट-48 उपलब्ध नहीं था एवं रुपये 17.07 करोड़ की खरीद होने का कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्राप्त नहीं थे जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के ही उचन्ती खरीद मानकर उस पर करारोपण कर दिया उसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर यह भी निर्णय दिया है कि विवादित उचन्ती खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के पास कोई तथ्य उपलब्ध होते हैं तो वे सुनवाई का अवसर प्रदान कर कार्यवाही कर सकते हैं। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपीलें खारिज की जाती हैं।

15. प्रकरण में विक्रय बिलों में पृथक से चार्ज की गई भाड़े की राशि को बिना किसी आधार के विक्रय मूल्य में शामिल कर दी गई है अतः इस बिन्दु पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-II के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः इस बिन्दु पर भी राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

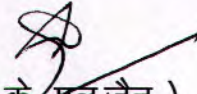


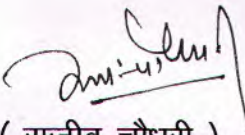
लगातार.....7

16. कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाई गई हानि की राशि को विक्रय की राशि मानने का कोई आधार नहीं दिया है, बल्कि हानि का कारण नहीं बताने के आधार पर इस राशि पर करारोपण कर दिया गया जो पुनः अनुचित है क्योंकि व्यवहारी ने जवाब के साथ कुल हानि केवल रुपये 1.24 करोड़ की ही होना बता दिया था। कर निर्धारण में हानि की राशि को बिना किसी साक्ष्य के विक्रय मूल्य में शामिल करना लेखानुसार भी अविधिक है क्योंकि विक्रय मूल्य में किसी तरह की वृद्धि करने के लिये बिक्री अधिक मूल्य पर किये जाने का साक्ष्य होना अनिवार्य है। व्यवहारी द्वारा घोषित बिक्री मूल्य को बिना किसी आधार के नहीं बढ़ाया जा सकता, फलतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं चूंकि प्रकरण में इस अतिरिक्त करारोपण को ही अविधिक ठहराया जा चुका है अतः उस अनुरूप ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करने की भी पुष्टि की जाती है।

17. फलतः राजस्व की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, उपरोक्त निर्देशानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

18. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य